न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
129 / 2023	01.09.2023	9.12.2023

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा राज0

उनवान

1— रूकमणी बाई उर्फ छोटी पुत्री रामनारायण, पत्नी चतुर्भुज जी जाति माली निवासी छीपडदा तह0 दीगोद जिला कोटा हाल मांगरोल जिला बांरा

(वादीनी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादीनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

यह कि ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद में वादीनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 207 रकबा 0.21 हे0, ख0नं0 210 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 438 रकबा 0.25 हे0, ख0नं0 439 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 453 की 0.16 हे0, ख0नं0 482 की 0.16 हे0 ख0नं0 587 की 0.76 हे0, कुल किता 7 की रकबा 1.99 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीनी सहखातेदार है नकल जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 संलग्न है।

यह कि पूर्व में उपरोक्त भूमि वादनी के पिता रामनारायण जी के नाम दर्ज चली आ रही थी। रामनारायण जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई जिसमें वादनी का नाम सहवन से घर का नाम छोटी दर्ज हो गया। जो गलत है।

यह कि वादनी का सही नाम रूकमणी बाई है। निर्वाचन आयोग की वोटर आईडी कार्ड व भामाशाह कार्ड में रूकमणी बाई दर्ज है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रूकमणी बाई के स्थान पर छोटी दर्ज कर दिया है जो गलत है जिसके कारण वादनी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकेगी। वर्तमान में भी वादनी को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज0)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज0)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद कोटा (राज0)

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम छोटी के स्थान पर रूकमणी बाई दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादनी ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया तथा अन्त में दिनांक 18.07.2023 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वाद कारण प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रूकमणी बाई के स्थान पर छोटी दर्ज कर दिये जाने के कारण व दिनांक 18.07.2023 को वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने से इन्कार करने पर वाद कारण पैदा हुआ

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

कि ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद में वादीनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 207 रकबा 0.21 हे0, ख0नं0 210 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 438 रकबा 0.25 हे0, ख0नं0 439 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 453 की 0.16 हे0, ख0नं0 482 की 0.16 हे0, ख0नं0 587 की 0.76 हे0, कुल किता 7 की रकबा 1.99 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम छोटी पुत्री रामनारायण के स्थान पर रूकमणी पुत्री रामनारायण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादनी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1– नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम छीपड़दा, खाता सं0 12
2– भामाशाह कार्ड रूकमणी बाई
3– पहचान पत्र निर्वाचन आयोग
4– शपथ पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया जाकर विशेष कथन किया है कि प्रकरण में रिपोर्ट पटवारी अनुसार छोटी को रूकमणी के नाम से भी जानते है तथा छोटी एवं रूकमणी बाई एक ही महिला के नाम है। अतः छोटी के स्थान पर रूकमणी दर्ज करने की अनुशंषा की है।

प्रश्नगत प्रकरण में जवाब प्रतिवादी सहमति परक होने से प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। प्रकरण में साक्ष्य के रूप में स्वंम का शपथ प्रस्तुत है। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में रखा गया।

बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व मनन किया गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

वादी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में उपलब्द्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं जवाब सरकार से स्पष्ट होता है कि वादनी का नाम छोटी नाम गलत दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड में छोटी पुत्री रामनारायण के स्थान पर रूकमणी बाई पुत्री रामनारायण दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः ग्राम छीपडदा तहसील दीगोद में वादीनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 207 रकबा 0.21 हे0, ख0नं0 210 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 438 रकबा 0.25 हे0, ख0नं0 439 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 453 की 0.16 हे0, ख0नं0 482 की 0.16 हे0, ख0नं0 587 की 0.76 हे0, कुल किता 7 की रकबा 1.99 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम छोटी पुत्री रामनारायण के स्थान पर रूकमणी बाई पुत्री रामनारायण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2023 को लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमे आम में सुनाया गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)